



# पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 702 /अका./का.प/2020

रायपुर, दिनांक 03/11/2020

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की पचपनवीं बैठक मंगलवार दिनांक 03.11.2020 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति सचिवालय के बैठक-कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:

प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति – अध्यक्ष

1. डॉ. एस.के. जाधव	– सदस्य	8. डॉ. समीर ठाकुर	– सदस्य
2. डॉ. देवेन्द्र कुमार वर्मा	– सदस्य	9. डॉ. के.एन. शर्मा	– सदस्य
3. डॉ. कल्लोल कुमार घोष	– सदस्य	10. श्री राजेश कुमार सिसोदिया	– सदस्य
4. डॉ. (श्रीमती) नंदा गुरवारा	– सदस्य	11. डॉ. अमिताभ पाण्डेय	– सदस्य
5. डॉ. (श्रीमती) आभा रूपेन्द्र पाल	– सदस्य	12. डॉ. एस.आर. गुप्ता	– सदस्य
6. डॉ. भजन सिंह छाबड़ा	– सदस्य	13. श्री गोविंद कुमार चंद्राकर	– सदस्य
7. डॉ. ममता शर्मा	– सदस्य	14. डॉ. एम.एल. नायक	– सदस्य

डॉ. गिरीशकांत पाण्डेय, कुलसचिव – सचिव

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 10.09.2020 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : संपुष्टि की गई।

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 10.09.2020 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : सूचना ग्रहण की गई।

3. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 16.10.2020 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

विधिक प्रकोष्ठ से प्राप्त प्रस्ताव :-

4. स्थानीय न्यायालयों के पैनेल अधिवक्ताओं के मानदेय में 25 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्थानीय न्यायालय में पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं का मानदेय प्रतिमाह राशि रुपए 6000/- (रुपए छः हजार मात्र) में 25 प्रतिशत वृद्धि किए जाने व रुपए 1500/- (रुपए एक हजार पाँच सौ मात्र) अन्य व्यय दिए जाने का अनुमोदन किया गया।

सामान्य प्रशासन से प्राप्त प्रस्ताव :-

5. डॉ. प्रदीप कुमार दुबे, श्री विजय कुमार पाण्डेय एवं श्री सुशांत कुमार अवस्थी, तकनीकी सहायकों के पेंशन प्रकरण निराकरण के संबंध में विचार करना।

निर्णय : डॉ. प्रदीप कुमार दुबे, श्री विजय कुमार पाण्डेय एवं श्री सुशांत कुमार अवस्थी, तकनीकी सहायकों के पेंशन प्रकरण पर उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर द्वारा पद एवं वेतनमान स्वीकृति तिथि वर्ष 2012 से संशोधित करते हुए वेतन निर्धारण कर पेंशन प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करने का अनुमोदन किया गया।

6. सीधी भर्ती के पदों पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्त किए जाने के संबंध में विचार करना।

**निर्णय :** छत्तीसगढ़ शासन के वित्त निर्देश 21/2020, वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर का पत्र क्र. 372/260/वि/नि/चार/2020 दिनांक 29.07.2020 के अनुसार परिनियम क्रमांक 31 की कंडिका 5(1) में आवश्यक संशोधन किए जाने का अनुमोदन किया गया।

7. डॉ. ए.के. पति, प्रोफेसर, जैविकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के धारणाधिकार की अवधि में वृद्धि के संबंध में।

**निर्णय :** डॉ. ए.के. पति, प्रोफेसर, जैविकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उनके आवेदन दिनांक 22.10.2020 के अनुक्रम में दिनांक 25 अक्टूबर 2020 से 30 नवंबर, 2020 तक धारणाधिकार की अवधि में वृद्धि किए जाने का अनुमोदन किया गया।

#### अकादमिक विभाग से संबंधित प्रस्ताव

8. महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, रायपुर को वाणिज्य विषय में शोध-केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

**निर्णय :** महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, रायपुर को वाणिज्य विषय में शोध-केंद्र की अस्थाई मान्यता प्रदान की गई।

#### वित्त विभाग से संबंधित प्रस्ताव

9. डॉ. एस.के. सिंह, सेवानिवृत्त प्रोफेसर के सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

**निर्णय :** डॉ. एस.के. सिंह, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, सांख्यिकी अध्ययनशाला के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा अंतिम शेष रु. 27,33,301/- (रुपए सत्ताईस लाख तैंतीस हजार तीन सौ एक मात्र) भुगतान पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन किया गया।

10. सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि से अंतिम भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

**निर्णय :** विश्वविद्यालय सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सामान्य भविष्य निधि में जमा अंतिम शेष निम्नानुसार :-

1	श्रीमती लता दुबे, सेवानिवृत्त चपरासी	4,49,871.00
2	श्रीमती कुमारी बाई, सेवानिवृत्त, माली	3,45,515.00
3	श्रीमती मैना बाई, सेवानिवृत्त हॉस्टल सर्वेंट	3,62,608.00
4	श्री नंद कुमार, सेवानिवृत्त स्वच्छक	2,26,198.00
5	श्री राकेश कुमार शुक्ला, सेवानिवृत्त उच्च श्रेणी लिपिक	11,92,646.00
	कुल राशि रुपये =	25,76,838.00

उपर्युक्त कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खाते में सेवानिवृत्ति के तिथि में जमा रुपए 25,76,838.00 (रुपए पच्चीस लाख छिहत्तर हजार आठ सौ अड़तीस मात्र) अंतिम शेष भुगतान पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन किया गया।

11. बजट सत्र 2020-21 में Additional Provision for Land Acquisition के मद 2.00 करोड़ (रुपए दो करोड़ मात्र) से 50.00 लाख (रुपए पचास लाख मात्र) Scholarship awarded By University मद में छात्रवृत्ति हेतु स्थानांतरण किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : बजट सत्र 2020-21 में Additional Provision for Land Acquisition के मद 2.00 करोड़ (रुपए दो करोड़ मात्र) से 50.00 लाख (रुपए पचास लाख मात्र) Scholarship awarded By University मद में छात्रवृत्ति हेतु स्थानांतरण किए जाने का अनुमोदन किया गया।

#### गोपनीय विभाग से संबंधित प्रस्ताव

12. सेमेस्टर परीक्षा एवं बी.एड./पी.जी.डी.सी.ए., डी.सी.ए. 2020 हेतु परीक्षा केंद्र अग्रिम राशि रुपए 9,50,000.00 (रुपए नौ लाख पचास हजार मात्र) के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

निर्णय : सेमेस्टर परीक्षा एवं बी.एड./पी.जी.डी.सी.ए., डी.सी.ए. 2020 हेतु परीक्षा केंद्र अग्रिम राशि रुपए 9,50,000.00 (रुपए नौ लाख पचास हजार मात्र) का अनुमोदन किया गया।

#### पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 02.11.2020 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

#### गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. विश्वविद्यालय वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा 2020 में संलग्न शिक्षकों के पारिश्रमिक भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.10.2020 के निर्णयानुसार—कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति में जिन वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा 2020 स्नातक स्तर के नियमित परीक्षार्थियों का परीक्षा के स्थान पर Assignment कार्य निर्देशानुसार महाविद्यालय स्तर पर लिया जा रहा है उस Assignment कार्य के लिए मूल्यांकनकर्ता को प्रति उत्तरपुस्तिका राशि रुपए 07 (रुपए सात मात्र) पारिश्रमिक दर निर्धारित करने की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

3. गोपनीय मुद्रण भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : वर्ष 2019-20 की मुख्य परीक्षा (मार्च-अप्रैल 2020) एवं सेमेस्टर परीक्षा (मई-जून 2020) के गोपनीय मुद्रण कार्य हेतु अनुबंधित फर्म द्वारा प्रस्तुत देयक 28,66,451.00 (रुपए अठाईस लाख, छैंसठ हजार, चार सौ इक्यावन मात्र) के भुगतान का अनुमोदन किया गया।

#### विश्वविद्यालय यांत्रिकी विभाग से संबंधित प्रस्ताव

4. आई टाईप, एच टाईप, शिक्षक आवास को कर्मचारियों के कार्यक्रम हेतु दर निर्धारण करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : आई टाईप, एच टाईप, शिक्षक आवास को कर्मचारियों के कार्यक्रम हेतु निम्नानुसार दर का अनुमोदन किया गया —

(1)	आई टाईप आवास	—	रु. 1000/— प्रति दिवस
(2)	एच टाईप आवास	—	रु. 2000/— प्रति दिवस
(3)	शिक्षक आवास	—	रु. 3000/— प्रति दिवस

### सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

5. विश्वविद्यालयीन कुलसचिव, उपकुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव को पुनरीक्षित (7वाँ) वेतनमान का लाभ दिए जाने के संबंध में विचार करना।
- निर्णय : छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर के वित्त निर्देश 50/2018, पत्र क्रमांक 788/F-01002199/ब-4/चार, दिनांक 05.09.2018 विश्वविद्यालयीन कुलसचिव, उपकुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव को पुनरीक्षित (7वाँ) वेतनमान का लाभ दिए जाने का अनुमोदन किया गया।

### अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

6. शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुन्द को राजनीति विज्ञान विषय में शोध-केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।
- निर्णय : शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुन्द को राजनीति विज्ञान विषय में शोध-केंद्र की अस्थायी मान्यता प्रदान की गई।

### वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

7. वित्तीय वर्ष 2020-21 में आबंटित राशि से प्रिंट पुस्तकों के क्रय हेतु अनुमानित राशि रुपये 20.00 लाख (रुपये बीस लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
- निर्णय : पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में Indian Publications के लिए अधिकतम छूट Tripathi Books Distributors, Allahabad से 33% एवं Foreign Publications के लिए अधिकतम छूट Techniz Books International, New Delhi से 38.15% दर से पुस्तकों (Print) के क्रयार्थ पुनः इसी फर्म एवं दर से वित्तीय वर्ष 2020-21 में आबंटित राशि से प्रिंट पुस्तकों के क्रय हेतु अनुमानित राशि रुपये 20.00 लाख (रुपये बीस लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।
8. मूल्यांकन केंद्रों के लिए अग्रिम राशि रुपये 1,55,96,868.00 (रुपये एक करोड़ पचपन लाख छियानबे हजार आठ सौ अड़सठ मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
- निर्णय : समस्त मूल्यांकन केंद्रों के लिए कुल अग्रिम राशि भुगतान 1,94,96,085.00 (रुपये एक करोड़ चौरानबे लाख छियानबे हजार पच्चासी मात्र) दिया जाना है, जिसकी 80 प्रतिशत अर्थात् रुपये 1,55,96,868.00 (रुपये एक करोड़ पचपन लाख छियानबे हजार आठ सौ अड़सठ मात्र) भुगतान किए जाने का अनुमोदन किया गया।

### विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

9. विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था के लिए अनुबंधित फर्म को 2 माह की वृद्धि के संबंध में विचार करना।
- निर्णय : अतः विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 02 माह दिनांक 01.11.2020 से 31.12.2020 तक के लिए पूर्व के समान स्वीकृत दर एवं शर्तों के साथ New Bharat Security & Detective Services, Shop-140, Wing-3, "RAJAT SANKUL" Opp. Main Bus Stand, Ganeshpeth, Nagpur के कार्यकाल में वृद्धि किए जाने का अनुमोदन किया गया।

### विश्वविद्यालय मानव संसाधन विकास केंद्र से संबंधित प्रस्ताव

10. उपसंचालक एवं सहायक संचालक पदनाम के स्थान पर क्रमशः एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर पदनाम परिवर्तन किए जाने के संबंध में विचार करना।
- निर्णय : उपसंचालक एवं सहायक संचालक पदनाम के स्थान पर क्रमशः एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर पदनाम परिवर्तन किए जाने का अनुमोदन किया गया।

## जैविकी अध्ययनशाला से संबंधित प्रस्ताव

11. जैविकी अध्ययनशाला हेतु UV-Vis Spectro Photometer क्रय किए जाने हेतु राशि रूपए 6,03,750.00 (रूपए छह लाख तीन हजार सात सौ पचास मात्र) भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : जैविकी अध्ययनशाला हेतु सामग्री को भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुए UV-Vis Spectro Photometer क्रय किए जाने हेतु राशि रूपए 6,03,750.00 (रूपए छह लाख तीन हजार सात सौ पचास मात्र) भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

### **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण**


1. विश्वविद्यालय परिसर में लान टेनिस सिंथेटिक कोर्ट निर्माण हेतु भुगतान की गई राशि रूपए 19,63,803/- (रूपए उन्नीस लाख तिरसठ हजार आठ सौ तीन मात्र) की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में विचार करना।


निर्णय : विश्वविद्यालय परिसर में लान टेनिस सिंथेटिक कोर्ट निर्माण हेतु भुगतान की गई राशि रूपए 19,63,803/- (रूपए उन्नीस लाख तिरसठ हजार आठ सौ तीन मात्र) की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

2. विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के साफ-सफाई व्यवस्था के लिए अनुबंधित फर्म को 2 माह की वृद्धि के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के साफ-सफाई व्यवस्था हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 02 माह दिनांक 01.11.2020 से 31.12.2020 तक के लिए पूर्व के समान स्वीकृत दर एवं शर्तों के साथ New Bharat Security & Detective Services, Shop-140, Wing-3, "RAJAT SANKUL" Opp. Main Bus Stand, Ganeshpeth, Nagpur के कार्यकाल में वृद्धि किए जाने का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।


  
कुलपति  
अध्यक्ष

  
3.11.20  
कुलसचिव  
सचिव

पृ. क्रमांक : 703 / अका./ का.प./ 2020  
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 03/11/2020

- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
- आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
- कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
- अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
- संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
- वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)